पत्रांक–04/HFA-07/2017- 1863 /न0वि0एवंआ0वि0

**बिहार सरकार**
**नगर विकास एवं आवास विभाग।**

प्रेषक

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 11-8-17

विषयः– **केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा सबके लिए आवास (शहरी) योजना, RAY, SBM तथा DAY-NULM के कार्यान्वयन में गति प्रदान करने हेतु निकाय स्तर पर मेगा शिविर आयोजित किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–2498 दिनांक–08.11.16 एवं 1802 दिनांक–02.08.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय। उक्त पत्र द्वारा निकाय स्तर पर केन्द्रीय योजनाओं की प्रगति हेतु प्रथम एवं तृतीय शनिवार को शिविर आयोजित करने का निदेश दिया गया है। संभवतः समयाभाव एवं स्थानीय करणों से अधिकांश नगर निकायों के द्वारा दिनांक–05.08.2017 (प्रथम शनिवार) को शिविर का आयोजन नहीं कराया गया है, चुँकि शिविर आयोजन का प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं है।

अतः केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा सबके लिए आवास (HFA), राजीव आवास योजना (RAY), (यदि निकाय में चल रही हो), स्वच्छ भारत मिशन (SBM) तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY-NULM) के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने हेतु निकाय स्तर पर शिविर का आयोजन दिनांक–19.08.2017 को निश्चित रूप से किया जाय एवं प्रत्येक माह भी नियमित रूप से करना सूनिश्चित किया जाय। इस पत्र के माध्यम से शिविर आयोजन हेतु पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. शिविर में HFA एवं RAY के लाभूकों को किस्तों का भुगतान पासबुक के माध्यम से किया जाय। इसके लिए लाभूकों के खाता में RTGS के माध्यम से भुगतान करके बैंक पासबुक में इसकी प्रविष्टी दर्ज कराकर लाभूकों को पासबुक का वितरण किया जाय।

2. शिविर में SBM के लाभुकों को कार्यादेश दिया जाय तथा किस्तों का भुगतान पासबुक के माध्यम से किया जाय।

3. शिविर में DAY-NULM योजनान्तर्गत SM & ID घटक के अधीन गठित स्वयं सहायता समूहों (SHG) को Revolving fund के राशि का चेक के माध्यम से वितरण किया जाय। शिविर में DAY-NULM के सभी Stake Holders को बुलाया जाय।

4. शिविर में उपस्थित लाभुकों को DAY-NULM के विभिन्न घटकों तथा अन्य सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाय।

5. शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा शिविर में सभी जनप्रतिनिधि/सांसद/स्थानीय विधायक को आमंत्रित किया जाय।

6. शिविर में विभिन्न योजनाओं के उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन उसी दिन 5:00 बजे अप0 तक विभाग को भेजा जाय।

शिविर के आयोजन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय तथा इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को भी दी जाय। इस शिविर में जिला के नोडल पदाधिकारी विभाग के प्रतिनिधि के रूप भाग लेंगे। संबंधित पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में वर्णित योजना के साथ निकाय में चल रहे अन्य विभागीय योजनाओं का भी अनुश्रवण करेंगे।

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन,

10/8/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।